POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 15.06.2026

1.थाना कासना पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल (ख़ून से लगा डंडा), 3 कड़े पीली धातु व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का विवरण-- दिनांक 12/06/2026 को थाना कासना पुलिस को ग्राम चीरसी की नहर के पास एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी पहचान हुजैफ पुत्र मुज्जमिल उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम दौला राजपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर के रूप मे हुयी थी। उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस उच्चाधिकारीगण द्वारा 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 15-06-2026 को थाना कासना पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, भौतिक साक्ष्यों व सीसीटीवी कमरों की फुटेज की सहायता से हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या आरोपी अभियुक्त शहजाद उर्फ बिट्टू पुत्र तरीकत को थाना क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल (ख़ून से लगा डंडा), 3 पीली धातू के सोने के कड़े व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुयी है।

अपराध करने का तरीका/पूछताछ का विवरण-- जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक हुजैफ एवं अभियुक्त शहजाद एक ही गांव के निवासी तथा आपस में मित्र थे। हुजैफ एवं शहजाद दोनों सुखा नशा करने के आदी थे। हुजैफ नया मोबाइल फोन खरीदने तथा ए.सी. का कार्य करने के लिए अपने परिजनों से पैसे मांग रहा था, परंतु उसकी नशे की आदत व लत के कारण परिजनों द्वारा उसे पैसे नहीं दिए जा रहे थे। इसी दौरान हुजैफ ने मौका पाकर अपने घर से माँ के पीली धातु के 04 कड़े चोरी कर लिए थे, जिन्हें बेचने के संबंध में उसने अभियुक्त एवं अन्य साथियों को बताया था। दिनांक 12.06.2026 को अभियुक्त शहजाद ने हुजैफ को कड़े बिकवाने का झांसा देकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया। दोनों ने सूखे नशे का सेवन किया। इसके उपरांत अभियुक्त शहजाद सुनसान स्थान की तलाश में आसपास कई जगह ठिकाने तलाशता हुआ हुजैफ को ग्राम चंद्रावल के पास नहर के किनारे ले गया। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद शहजाद ने मौका पाकर हुजैफ के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया। चोट लगने से जैसे ही हुजैफ नीचे गिर गया, अभियुक्त ने उस पर डंडे से कई वार कर उसकी हत्या कर दी।

इसके बाद अभियुक्त मौके से भाग गया। कुछ दूरी पर पहुंचने के पश्चात अभियुक्त को भय हुआ कि हुजैफ कहीं जीवित न हो इसलिए वह पुनः घटनास्थल पर वापस गया और शव की पहचान मिटाने के उद्देश्य से अपनी

मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर शव पर छिड़क दिया और उसमें आग लगा दी। आग की ऊंची लपटें उठने पर अभियुक्त को आशंका हुई कि गांव के लोग मौके पर पहुंच सकते हैं। इस कारण वह शव को नहर में फेंकने से पहले ही मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. शहजाद उर्फ बिट्टू पुत्र तरीकत निवासी ग्राम दौला राजपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 121/2026 धारा 103(1),238A बीएनएस थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल (ख़ून से लगा डण्डा)
2. 3 कड़े पीली धातू
3. घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल